संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक / अ.प्रशा. / एफ–324 / सेल–6 / 2020 / भोपाल, दिनांक / 09 / 2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0।
समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।

विषयः–अस्पताल के बाहर कुत्तों द्वारा काटी गई क्षत विक्षत 80 वर्षिय वृद्ध महिला की लाश बरामद के संबंध में। (मानव अधिकार आयोग प्रकरण क्र.3902 / राजगढ़ / 2017)

संदर्भः–1.आयोग शाखा का पत्र क्र. / 4 / आयोग / एम.पी. / एफ–387 / 2020 / 677दि.24 / 08 / 2020
2.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्र. / एनएचएम / एनपीएचसीई / 2017 / 18507 दि.19 / 06 / 2020

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. निराश्रित, बेसहारा वृद्धजन / वरिष्ठ नागरिक शासकीय अस्पताल में भर्ती होते हैं, जो स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल की जबावदारी वार्ड में पदस्थ नर्स के द्वारा निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संदर्भित पत्र क्रमांक–02 में राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE) का जिलों में क्रियान्वयन हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

संचालक अस्पताल प्रशासन द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.उपेन्द्र दुबे)
संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म0प्र0

पृ. क्रमांक / अ.प्रशा. / एफ–324 / सेल–6 / 2020 / / 1048 भोपाल,दिनांक 23 / 09 / 2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर सचिव म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मानव अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव म0प्र0 मानव, अधिकार आयोग, पर्यावास भवन अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
6. उप संचालक, आयोग शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर शाखा के संदर्भित पत्र के संबंध में।
7. एम.आई.एस. कक्ष, स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त संचालक,(अ.प्रशा.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
म0प्र0